ए.12018/2/2008–एम.एच.2/एन.सी.डी.–1
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एनसीडी–1

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांकः ..8..अप्रैल, 2022

जन–सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी 14017/61/2008 स्था. (आर आर) के अनुपालन में अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में अधीक्षक (कार्य मूल्यांकन और समाधान) पद हेतु भर्ती नियम का प्रारूप सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके साथ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति /टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, जन–सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदन अपने सुझाव अवर सचिव (एन.सी.डी–I.) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कमरा नं. 430 'सी' विंग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली.110108 को लिखित रूप में या इस ई–मेल पते s.dharminder@nic.in पर भेज सकते है।

(धर्मेन्द्र सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन नंत्र 011–2306 2666

[भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 2022

अधिसूचना

सा.का.नि. .... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में **अधीक्षक (कार्य मूल्यांकन एवं समायोजन) के** पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रांरभ : -** (1) इन नियमों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई, **अधीक्षक (कार्य मूल्यांकन एवं समायोजन)** भर्ती नियम 2022 कहा जायेगा।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में लेवल –** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता –** वह व्यक्ति –

   (i) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं,

   (ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केंद्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अधीक्षक (कार्य मूल्यांकन एवं समायोजन)	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का लेवल- 7 (44900 – 1,42,400/- रुपये) में	अचयन	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
आयु: नहीं शैक्षणिक अर्हताएं: नहीं तथापि, वह निम्न में उत्तीर्ण हो:- (3) 12वीं कक्षा या समतुल्य (4) किसी भी एक ट्रेड अर्थात् फोटोग्राफी, प्रिंटिंग, कारपेंटरी, कप्यूटर में आईटीआई/ 01 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में लेवल- 5 (29,200- 92300/- रूपए) में प्रबंधक, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यशाला जो लेवल में 11 वर्ष की नियमित सेवा अनुभव हैं। प्रतिनियुक्ति:- केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी जो मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण करते हैं और (ग) जिनके पास मैकेनिकल/ इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रोनिक्स/ कंप्यूटर (आईटी)/ प्रिंटिंग/ फोटोग्राफी/ टैक्सटाइल/ डिजाइनिंग/ आर्ट्स स एवं क्राफ्ट्/ इंटीरियर डिजाइनिंग/ टेलरिंग अथवा किसी अन्य ट्रेड में डिप्लोमा हो (भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त) **अथवा** (घ) मैकेनिकल/ इलेक्ट्रीकल/ इलेक्ट्रोनिक्स/ कंप्यूटर (आईटी)/ प्रिंटिंग/ फोटोग्राफी/ टैक्सटाईल डिजाइनिंग/ टेलरिंग अथवा किसी अन्य ट्रेड में डिग्री हो (भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त)	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) में निम्न शामिल है: 4. निदेशक, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई –अध्यक्ष 5. अपर निदेशक, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई- सदस्य 6. उपनिदेशक (पुनर्वास), अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक नहीं है।

[ए.12018/2/2008-एमएच.II]

(धर्मेंद्र सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार